न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 32 / 2022

श्री शिवगणेश पुत्र श्री पूरनमल शर्मा निवासी जनूथर, तहसील डीग जिला भरतपुर।

.........अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार, डीग।

...........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 24.05.2022**

अपीलार्थी श्री शिवगणेश पुत्र श्री पूरनमल शर्मा निवासी जनूथर तहसील डीग की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तहसीदार डीग के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2022 से तहसीलदार से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार डीग द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 277 दिनांक 09.05.2022 के द्वारा तहसीलदार डीग से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार डीग से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 4 बिन्दुओं पर तहसीलदार डीग से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार डीग से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नियत अवधि में दिये जाने एवं नहीं दिये जाने बाबत कोई जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उसे अवगत नहीं कराया गया है। अस्तु अपील आंशिक स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपील / आरटीआई / 32 / 2022
शिवगणेश बनाम तहसीलदार डीग

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्तानुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार डीग को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। सूचना पर लगने वाला शुल्क दोषी कार्मिक से बसूल कर राजकोष में जमा कराया जावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार डीग को पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर